कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0, बागेश्वर (कपकोट) ।

☎/फैक्स नं0 05963–220127 ई–मेलः– eepmgsykapkot@rediffmail.com

पत्रांकः– 891 वनभूमि/पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2017–18, दिनांकः 21 – 12 – 2018.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं,
नोडल अधिकारी वन संरद्वाण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,वन विभाग,
इन्दिरानगर,फौरेस्ट कालोनी,
देहरादून (उत्तराखण्ड)।

विषय– जनपद–बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्रम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/28919/2017 बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि0मी0 33 से किरोली मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में।

सन्र्दभ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,देहरादून के EDS dated 19-09-2018

महोदय,

वनभूमि प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/28919/2017 बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि0मी0 33 से किरोली मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण आनलाईन कर दिया गया है, एंव आफलाईन एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को एंव तीन प्रतियों में आपके कार्यालय को संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0आई0यू0–2,पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0आई0यू0।।
पीएम0जी0एस0वाई0 , कपकोट।

विषय:- जनपद–बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि0मी0 33 से किरोली मोटर मार्ग हेतु 2.26 है0 के निर्माण के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/28919/2017

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 19–09–2018

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया पत्र में उल्लिखित स्वयं से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं की सूचना ऑन लाईन करते हुए तीन हार्ड प्रतियों में शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, एवं वन प्रभाग के स्तर से प्रदान की जाने वाली सूचनाओं हेतु वन प्रभाग से सामन्जस्य स्थापित कर सूचनाएं शीघ्र प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करवायें।

उल्लेखनीय है, कि आपके द्वारा सूचना ससमय उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव को निरस्त भी किया जा सकता है। उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपके खण्ड की होगी।

संलग्न:–यथोपरि।